राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3474 / 2024

अब्दुल खलील कुरैशी

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये आयुक्त सह संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.11.2024
आदेश की दिनांक : 02.12.2024
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्मेन्द्र पारीक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 12.10.2022 को कार्यवाही की गई, जिसकी एफ.आई.आर. संख्या 403 / 2022 दर्ज की गई। उक्त प्रकरण दर्ज होने के पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 13.10.2022 के द्वारा दिनांक 12.10.2022 से निलम्बित किया गया। उक्त प्रकरण में माननीय विशिष्ठ न्यायालय एसीबी, जयपुर–।। में दिनांक 06.12.2022 को चार्जशीट दायर की गई, जिसमें माननीय विशिष्ठ न्यायालय एसीबी, जयपुर–।। द्वारा दिनांक 16.11.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया। तत्पश्चात विशेषाधिकारी–यूआईडी एवं संयुक्त सचिव महोदय के ज्ञापन क्रमाक एफ.2(237) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 2023 / ML–2614 / 2023 दिनांक 14.02.2024 से अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ज्ञापन आरोप–पत्र के साथ प्रसारित किया गया था। इसके पश्चात प्रभारी अधिकारी (संस्थापन) के आदेश क्रमांक एफ.2 (6579) / डी.ओ.आई.टी / संस्था / 15 / 00293 / 2024 दिनांक 25.01.2024 से प्रार्थी को निलम्बन से बहाल किया गया है जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.01.2024 को मध्याहन पूर्व उपस्थिति प्रस्तुत कर दी

गई थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा एफ.2 (42)/डीओसी/ संस्था/93/03360/2023 दिनांक 06.07.2023 (अनुलग्नक–5) को सहायक प्रोग्रामर की जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्र. स. 105 पर अंकित है। उपरोक्त सूची के आधार पर अपीलार्थी के क्रम संख्या से पूर्व 104 (रोमा भटनागर, श्रेणी–सामान्य) व बाद क्रम संख्या 106 (अनिल अजमेरा, श्रेणी–ओबीसी) का चयन वर्ष 2023–24 एवं पदोन्नती बैठक दिनांक 06.10.2023 से पदोन्नती आदेश दिनांक 19.01.2024 में क्रम सख्यां 31, 32 क्रमशः से पदोन्नत किया जा चुका है। तत्समय अपीलार्थी का पदोन्नति लिफाफा निलम्बन होने से बंद रखा गया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि रिक्ति दिनांक 12.09.2023 तक अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अनुशासनिक कार्यवाही/फौजदारी प्रकरण लम्बित नहीं था। वर्तमान में अपीलार्थी निलम्बन से बहाल हो चुका है। अतः अपीलार्थी भी उसके क्रम संख्या से पूर्व 104 (रोमा भटनागर, श्रेणी–सामान्य) व बाद क्रम संख्या 106 (अनिल अजमेरा, श्रेणी–ओबीसी) का चयन वर्ष 2023–24 के समान पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 में नियमित पदोन्नति के संबंध में जारी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। अतः दिशा–निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी के संबंध में चयनित वर्ष 2023–24 एवं रिक्ति दिनांक 12.09.2023 में अपीलार्थी का बन्द लिफाफा खुलवाकर उचित कार्यवाही की जाएं।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 माह की अवधि में

नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)